**संख्या-1/2026/आई/1196071/2026/001- 23-14002(002)/15/2025-1**

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ, दिनांक: 06 जनवरी, 2026**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत लखनऊ क्षेत्र के 56 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-18045/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 28.11.2025, 18137/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 03.12.2025, 18149/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 05.12.2025, 18184/CE-HQ1/CHINIMILL /LKO/2025-26, दिनांक 09.12.2025, 18266/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 16.12.2025, 18310/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 19.12.2025 एवं 18379/CE-HQ1/CHINIMILL/ LKO/2025-26, दिनांक 23.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 733.60 लाख (रूपये सात करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 स0 | जनपद/ खण्ड का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत | बचत | बचत उपरान्त की लागत | अनुरक्षण की लागत | अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि | अब तक आवंटन | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **नि.ख.-1 खीरी** | मझरा सीर चैफेरी मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 86.53/ 76.08 | 19.19 | 56.89 | 5.77 | 51.12 | 30.87 | 15.00 |
| 2 | **नि.ख.-3 खीरी** | मोतीपुरवा से भौका कल्लूपुरवा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 26.34/ 25.72 | 3.87 | 21.85 | 0.62 | 21.23 | 2.26 | 15.00 |
| 3 | **प्रा.ख. खीरी** | हरीनगर क्रय केन्द्र से मगदापुर सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 51.27/ 47.52 | 7.24 | 40.28 | 3.47 | 36.81 | 30.82 | 5.99 |
| 4 | **प्रा.ख. खीरी** | पीडब्लूडी मार्ग से लखनऊरिया तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 13.45/ 12.58 | 1.20 | 11.38 | 0.91 | 10.47 | 0.10 | 10.00 |
| 5 | **नि.ख.-1 खीरी** | धौरहरा लहबड़ी मार्ग से चमारनपुरवा 1(150) में पुनर्निर्माण का कार्य। | 7.58/ 6.80 | 0.85 | 5.95 | 0.51 | 5.44 | 3.08 | 2.50 |
| 6 | **नि.ख.-3 खीरी** | ज्ञानपुर से पड़रिया मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 84.07/ 78.91 | 17.72 | 61.19 | 5.12 | 56.07 | 15.84 | 30.00 |
| 7 | **नि.ख.-3 खीरी** | पी0डब्लू0डी0 मार्ग से नंदनगर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 111.49/ 100.74 | 15.50 | 85.24 | 7.55 | 77.69 | 9.60 | 30.00 |
| 8 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | मलिकापुर डामर रोड से कुन्सरा सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य। | 32.45/ 30.30 | 3.19 | 27.11 | 2.20 | 24.91 | 19.53 | 5.38 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **प्रा.ख. सीतापुर** | लालपुर से समोलिया सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 29.15/ 29.15 | 7.31 | 21.84 | 1.97 | 19.87 | 15.28 | 2.72 |
| 10 | **नि.ख.-3 खीरी** | बसन्तापुर खुर्द सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 15.48/ 14.27 | 0.03 | 14.24 | 1.05 | 13.19 | 10.15 | 3.00 |
| 11 | **नि.ख.-3 खीरी** | पतवारा से दरापुरवा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 23.96/ 23.96 | 1.53 | 22.43 | 0.57 | 21.86 | 18.05 | 1.50 |
| 12 | **नि.ख.-3 खीरी** | भीरा से श्रीनगर मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 46.11/ 45.03 | 7.99 | 37.04 | 1.79 | 35.25 | 10.46 | 20.00 |
| 13 | **नि.ख.-3 खीरी** | धूसर से टापरपुरवा मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 31.89/ 30.06 | 10.63 | 19.43 | 1.90 | 17.53 | 16.67 | 0.86 |
| 14 | **नि.ख.-3 खीरी** | पलिया खुर्द बड़ा गांव सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 37.66/ 34.70 | 0.18 | 34.52 | 2.55 | 31.97 | 20.38 | 11.00 |
| 15 | **नि.ख. सीतापुर** | भगौतीपुर पेन्टेड मार्ग से गोविन्दा सराय सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 39.60/ 35.17 | 10.27 | 24.9 | 2.68 | 22.22 | 18.82 | 3.40 |
| 16 | **नि.ख. सीतापुर** | दहेलिया सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 27.44/ 23.44 | 7.58 | 15.86 | 1.86 | 14.00 | 13.85 | 0.15 |
| 17 | **नि.ख. सीतापुर** | ग्राम नरही से ग्राम रहिमाबाद मछरेहटा रोड तक का पुनर्निर्माण का कार्य। | 35.88/ 35.36 | 10.43 | 24.93 | 2.43 | 22.50 | 17.29 | 5.21 |
| 18 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | रामपुर कलां मार्ग से कन्दुनी मार्ग (द्वितीय एवं तृतीय भाग) | 254.08/ 254.08 | 55.8 | 198.28 | 17.36 | 180.92 | 138.12 | 30.00 |
| 19 | **नि.ख.-4 सीतापुर** | गौरा अरथाना पक्के मार्ग से चपतीपुर पक्के मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य | 21.55/ 19.50 | 2.50 | 17.00 | 1.46 | 15.54 | 12.58 | 2.96 |
| 20 | **प्रा.ख. सीतापुर** | लहरपुर भदफर मार्ग से किशुनपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 14.39/ 14.39 | 1.66 | 12.73 | 0.97 | 11.76 | 8.41 | 3.35 |
| 21 | **प्रा.ख. सीतापुर** | नयागांव खालेपुरवा इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 25.18/ 25.18 | 8.27 | 16.91 | 1.70 | 15.21 | 9.36 | 5.85 |
| 22 | **प्रा.ख. सीतापुर** | बिसवां लहरपुर हरगांव मार्ग से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 33.50/ 33.50 | 8.64 | 24.86 | 2.05 | 22.81 | 16.21 | 6.49 |
| 23 | **नि.ख.-3 खीरी** | बमनगर से बहादुर नगर | 74.20/ 74.20 | 16.10 | 58.10 | 5.02 | 53.08 | 20.87 | 32.21 |
| 24 | **नि.ख.-3 खीरी** | बचेला सम्पर्क मार्ग (बार्डर रोड) का पुनर्निर्माण का कार्य। (202500003100216) | 144.02/ 130.85 | 40.61 | 90.24 | 9.84 | 80.40 | 40.92 | 39.48 |
| 25 | **नि.ख.-3 खीरी** | निघासन लालपुर बैलहा मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 110.05/ 102.33 | 31.34 | 70.99 | 5.68 | 65.31 | 16.10 | 25.00 |
| 26 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | संजय गांधी मार्ग से कटिया से शुक्लापुरवा डफरा मार्ग (द्वितीय भाग) | 44.98/ 44.98 | 1.69 | 43.29 | 3.04 | 40.25 | 13.84 | 26.41 |
| 27 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | कोठिला डामर रोड से जहांगीराबाद सम्पर्क मार्ग के पुर्निनर्माण का कार्य | 25.74/ 23.69 | 0.54 | 23.15 | 1.74 | 21.41 | 14.26 | 7.15 |
| 28 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | रामपुर कला से नसीराबाद सम्पर्क मार्ग के पुर्निनर्माण का कार्य | 13.19/ 12.22 | 1.23 | 10.99 | 0.89 | 10.10 | 8.00 | 2.10 |
| 29 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | बेहटी ग्राम द्वितीय भाग सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य। | 7.58/ 7.07 | 0.72 | 6.35 | 0.51 | 5.84 | 4.59 | 1.25 |
| 30 | **नि.ख.-4 सीतापुर** | डाडाबाद चिनहारा राई मार्ग से चौफरा गरगटा मार्ग का अवशेष भाग | 109.98/ 109.98 | 18.41 | 91.57 | 7.34 | 84.23 | 64.10 | 19.20 |
| 31 | **नि.ख.-4 सीतापुर** | रमुवापुर से सैगड़ा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य | 26.01/ 23.64 | 3.00 | 20.64 | 1.76 | 18.88 | 15.20 | 3.68 |
| 32 | **प्रा.ख. सीतापुर** | सोन्सरी से मुगलपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 33.29/ 33.29 | 9.14 | 24.15 | 1.29 | 22.86 | 16.90 | 5.96 |
| 33 | **नि.ख.-2 हरदोई** | ग्राममोहाई (पतसेनी) से भीरीघाट लखनऊ रोड मार्ग तक भाग.1 का पुर्ननिर्माण का कार्य। | 43.58/ 43.58 | 5.30 | 38.28 | 2.95 | 35.33 | 3.83 | 31.50 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **नि.ख.-3 खीरी** | पेण्टेड रोड नहर पटरी से बिलरिया सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 24.61/ 22.93 | 3.87 | 19.06 | 1.59 | 17.47 | 8.25 | 9.22 |
| 35 | **नि.ख.-3 खीरी** | अलीगंज से बवेसर मार्ग प्रथम भाग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 90.63/ 84.28 | 17.61 | 66.67 | 3.90 | 62.77 | 16.91 | 15.00 |
| 36 | **नि.ख.-1 सीतापुर** | बिसवां सिधौली मार्ग से गंगापुर पच्चा हत्तनरपुर सम्पर्क मार्ग के पुर्निनर्माण का कार्य | 22.52/ 20.88 | 2.10 | 18.78 | 1.52 | 17.26 | 13.66 | 3.60 |
| 37 | **प्रा.ख. सीतापुर** | चकलेबाबा से पलौली सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 43.39/ 43.39 | 16.32 | 27.07 | 2.94 | 24.13 | 18.94 | 5.19 |
| 38 | **प्रा.ख. सीतापुर** | लहरपुर मतुआ मार्ग से पलौली सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 36.28/ 36.28 | 13.41 | 22.87 | 2.45 | 20.42 | 16.00 | 4.42 |
| 39 | **प्रा.ख. सीतापुर** | हरगांव मतुआ मार्ग से पलौली तृतीय भाग सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 54.42/ 54.42 | 20.35 | 34.07 | 3.68 | 30.39 | 17.74 | 12.65 |
| 40 | **प्रा.ख. सीतापुर** | समोलिया सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 25.53/ 25.53 | 7.26 | 18.27 | 1.32 | 16.95 | 12.78 | 4.17 |
| 41 | **नि.ख.-1 हरदोई** | ग्रामनिजामपुर सैदा से उबरियाकला भाग 1 सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 56.76/ 56.76 | 0.10 | 56.66 | 3.85 | 52.81 | 25.66 | 27.15 |
| 42 | **नि.ख.-1 हरदोई** | ग्रामसैदापुर से कनकापुर भाग- 2 सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 16.03/ 16.03 | 0.11 | 15.92 | 0.76 | 15.16 | 10.19 | 4.97 |
| 43 | **नि.ख.-1 खीरी** | दियारतनपुर से ईसापुर के किमी0 1 एवं 2(200) में पुनर्निर्माण का कार्य। | 58.17/ 54.29 | 3.00 | 51.29 | 2.49 | 48.80 | 21.08 | 15.00 |
| 44 | **नि.ख.-3 खीरी** | डिगनिया चन्दनचैकी से खम्भा मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 87.38/ 82.24 | 15.27 | 66.97 | 4.59 | 62.38 | 25.87 | 25.00 |
| 45 | **नि.ख.-3 खीरी** | छिदियापश्चिम अम्बेडकर ग्राम की सड़क के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 60.29/ 54.66 | 9.51 | 45.15 | 3.94 | 41.21 | 37.15 | 4.06 |
| 46 | **नि.ख.-3 खीरी** | तिकोनियाबनवीरपुर से रानीनगर-(बनवीरपुर-इन्द्रानगर-दाराबोझी-खखरौला घाट नेपाल बार्डर)मार्ग का पुनर्निर्माण के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 751.99/ 751.99 | 162.40 | 589.59 | 42.03 | 547.56 | 210.53 | 100.00 |
| 47 | **प्रा.ख. सीतापुर** | रैघटा पलौली से भडौली सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 21.80/ 21.80 | 7.85 | 13.95 | 1.48 | 12.47 | 7.41 | 5.06 |
| 48 | **नि.ख.-1 खीरी** | तेलियार देवीपुरवा मार्ग से भूदरपुरवा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। | 9.17/ 8.25 | 1.15 | 7.10 | 0.62 | 6.48 | 4.09 | 2.39 |
| 49 | **नि.ख.-1 खीरी** | पढुआ चदैयापुर रोड़ से दुलहीपुरवा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। | 21.25/ 19.22 | 1.35 | 17.87 | 1.44 | 16.43 | 10.21 | 6.22 |
| 50 | **नि.ख.-1 खीरी** | पी0डब्लू0डी0 रोड से लखनपुरवा मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य। | 58.22/ 52.67 | 15.59 | 37.08 | 3.94 | 33.14 | 25.16 | 7.98 |
| 51 | **नि.ख.-1 खीरी** | ढकरेवा गिरिजापुरी रोड़ से लखनियापुर मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 23.46/ 21.25 | 1.75 | 19.5 | 1.59 | 17.91 | 10.23 | 7.50 |
| 52 | **नि.ख.-1 खीरी** | सुजानपुर से माथुरपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 51.00/ 49.14 | 11.94 | 37.20 | 1.20 | 36.00 | 22.51 | 13.00 |
| 53 | **नि.ख.-3 खीरी** | पटिहन मार्ग से भगवंत फार्म | 61.21/ 61.21 | 13.12 | 48.09 | 4.14 | 43.95 | 20.72 | 20.00 |
| 54 | **प्रा.ख. सीतापुर** | लहरपुर मतुआ मार्ग से पलौली प्रथम भाग सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 36.29/ 36.29 | 14.86 | 21.43 | 2.46 | 18.97 | 0.88 | 18.09 |
| 55 | **प्रा.ख. सीतापुर** | पलौली मार्ग से शीतलपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 9.06/ 9.06 | 3.21 | 5.85 | 0.16 | 5.69 | 0.22 | 5.00 |
| 56 | **प्रा.ख. सीतापुर** | इटौवा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य | 56.21/ 56.21 | 15.08 | 41.13 | 3.24 | 37.89 | 24.26 | 13.63 |
| | | | **योग** | | | | | | **733.60** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,33,60,000 (रुपये सात करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण /पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।